

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-सा.-16092020-221761
SG-DL-W-16092020-221761

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 02] दिल्ली, सितम्बर 4—सितम्बर 10, 2020, बृहस्पतिवार/भाद्र 13—भाद्र 19, 1942
No. 02] DELHI, SEPTEMBER 4—SEPTEMBER 10, 2020, THURSDAY/BHADRA 13—BHADRA 19, 1942

भाग V—खण्ड II
PART V—SECTION II

दिल्ली प्रशासन के कार्यालय अध्यक्षों द्वारा प्रकाशित नोटिस और अन्य मामले एवं विधि मामले जो पिछले खण्डों में सम्मिलित नहीं किए गए

Notices and other matters published by Heads of Offices of Delhi Administration and miscellaneous matters not included in other Sections

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली चिकित्सा परिषद्
अधिसूचना

दिल्ली, 9 सितम्बर, 2020

सं. DMC/2020-21.—दिल्ली चिकित्सा परिषद् द्वारा दिल्ली चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1997 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए (दिल्ली अधिनियम 1997 का 5), निम्नलिखित नियमों में सहर्ष बदलाव किए जाते हैं : —

43. बैठकों की उपस्थिति के लिए मानदेय

परिषद्, कार्यकारी समिति के सदस्यों या बाहर के सहयोजित सदस्यों/मूल्यांकनकर्ता को बैठकों में भाग लेने के लिए मानदेय के रूप में प्रति बैठक दो हजार रुपए की राशि देय होगी।

44. शुल्क

जैसा कि नीचे दिखाया गया है, परिषद् द्वारा शुल्क लगाया जाएगा : —

आवेदन का प्रकार	पंजीकरण शुल्क
रजिस्टर में नाम का बदलना	2000 रुपए
अतिरिक्त योग्यता	2000 रुपए प्रति योग्यता
रजिस्टर में प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए	2000 रुपए
(क) अनंतिम पंजीकरण — भारतीय मेडिकल स्नातक	2000 रुपए
(ख) अनंतिम पंजीकरण — विदेशी मेडिकल स्नातक	8000 रुपए
(क) स्थायी पंजीकरण — भारतीय मेडिकल स्नातक	2000 रुपए
(ख) स्थायी पंजीकरण — विदेशी मेडिकल स्नातक	8000 रुपए
पंजीकरण का नवीकरण	2000 रुपए
गुड स्टैंडिंग का प्रमाणपत्र	2000 रुपए
अनापत्ति प्रमाणपत्र	2000 रुपए

डॉ. गिरीश त्यागी, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन/पार्ट V/Sec. II/01/2020]

**DELHI MEDICAL COUNCIL
NOTIFICATION**

Delhi, the 9th September, 2020

No. DMC/2020-21.—In exercise of powers conferred under section 30 of the Delhi Medical Council Act, 1997 (Delhi Act 5 of 1997), the Delhi Medical Council is pleased to make the changes in the following rules:-

43. Honorarium for attendance of meetings

A sum of two thousand rupees per meeting shall be payable as Honorarium to members of the council, Executive Committee or co-opted members from outside/ assessor for attending meetings.

44. Fees

Fees shall be levied by the council as shown below:-

Application Type	Registration Fees
Change of Name in the register	Rs 2000
Additional Qualification	Rs 2000 per qualification
For issue of a certified copy of an entry in the register	Rs 2000
(a) Provisional Registration – Indian Medical Graduates	Rs 2000
(b) Provisional Registration-Foreign Medical Graduates	Rs 8000
(a) Permanent Registration - Indian Medical Graduates	Rs 2000
(b) Permanent Registration- Foreign Medical Graduates	Rs 8000
Renewal of Registration	Rs 2000
Certificate of Good Standing	Rs 2000
No Objection Certificate	Rs 2000

Dr. GIRISH TYAGI, Registrar

[ADVT./Part V/Sec. II/01/2020]